न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बीरबल बनाम उम्मेदवाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दावा	मु.नं. - 86/2024
22.04.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने बहस सुनी जाने का निवदेन किया, वकील वादी के निवदेन पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 30.04.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
30.04.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 13.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
13.05.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
16.05.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
86 / 2024	2024 / 159	24.06.2024	16.05.2025

उनवान प्रकरण

1. बीरबल प्रसाद पुत्र कजौडमल आयु 60 वर्ष जाति रैगर निवासी वार्ड नम्बर 1 नीमकाथाना रोड गुरू कॉलोनी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

–वादी–

बनाम्

1. उम्मेद पुत्र सोहन
2. आंची पत्नी सोहन
3. कजौडमल पुत्र प्रभात
4. कृष्णा पुत्री मोहन
5. केशरी पुत्री ग्यारसीलाल
6. गोरा पुत्री ग्यारसीलाल
7. पप्पू पुत्र ग्यारसीलाल
8. पूरणमल पुत्र मोहन

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

9 बबली पुत्री मोहन

10 मुकेश पुत्र सोहन

11 मदन पुत्र ग्यारसीलाल

12 मीरा पुत्री ग्यारसीलाल

13 मौसमी पुत्री मोहन

14. रूडी देवी पत्नी स्व. ग्यारसीलाल

15. विमला देवी पुत्री ग्यारसीलाल

16. सेडी देवी पत्नी स्व. मोहन

17. सुनिता पुत्री सोहन

18. हीरालाल पुत्र मोहन

समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी मालियान तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

19. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–19 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 3796 रकबा 0.1700 हैक्टर कुल किता 1 रकबा कुल रकबा 0.1700 हैक्टर राजस्व ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में अवस्थित है जिसकी 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम अंकित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.6000 हैक्टर राजस्व ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना में अवस्थित है। जिसकी 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम से अंकित है। उक्त वर्णित भूमियों में वादी ने अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमियों को मौके पर अलग से प्रतिवादी नम्बर-1 ता 18 से बाह्मी विभाजन कर रखा है इसी अनुसार वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। बाह्मी विभाजन के अनुसार वादी के खसरा नम्बर 3790 में रोड से सटाकर 0.2566 हैक्टर भूमि वादी के हक हिस्से में आयी हुयी है जिस पर वादी काबिज काश्त है। उपरोक्तानुसार वादी मौके पर काबिज काश्त है तथा वादी ने अलग से नींव सींव कायम कर बाह्मी बंटवारे में आयी हुयी अपने हक हिस्से एवं अधिकार की उक्त भूमियों पर मौके पर काबिज काश्त एवं आबाद चला आ रहा है तथा भूमियों का उपयोग-उपभोग कर अपना जीवन निर्वाह करता आ रहा हैं तथा इसके अलावा शेष भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 18 के बाह्मी बंटवारे में उनके हक हिस्से एवं अधिकार में मौके पर आयी हुयी है जिसका उपयोग-उपभोग मौके पर प्रतिवादी करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादी अपने हक हिस्से एवं अधिकार में बाह्मी बंटवारे में आयी हुयी भूमियों की खातेदारी अलग से अपने नाम उद्घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड अलग से अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। उक्त वर्णितानुसार अपने हिस्से व अधिकार में आयी हुयी भूमि को अलग से सींव नींव कायम कर अलग से सीमाओं से सुरक्षित कर रखा है। उक्त वर्णित अनुसार बाह्मी बंटवारा के अनुसार अपने हक हिस्से एवं अधिकार की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अलग से दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की बंटवारे के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है और ना ही राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अलग से अंकन हुआ है इसके अभाव में वादी अपनी भूमियों का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाए उपलब्ध होती है ... प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहा है तथा अपनी भूमियों का समुचित ... किया जा रही है। उक्त वर्णित भूमियों को संयुक्त खातेदारी की आड में दीगर ... के लोगो को बेचान करने पर आमादा हो रहे है यदि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि दीगर माफियावृत्ति के लोगो को अन्तरण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया या जोर जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर वादी के हक हिस्से एव अधिकार की भूमि पर निर्माण कर लिया या कृषि भूमि को अकृषि मे तब्दील कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया तो वादी के भूमि मुतनाजा मे निहित विधिक हक हकुक गम्भीर रूप से प्रभावित होगे। वादी अपने हिस्से की भूमियो से बैजा तोर पर महरूम हो जावेगा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी जिससे वादी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त गलत अवैध व मनमाने रूप से ही की जा रही कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का कानूनी अधिकारी है एव प्रतिवादीगण को न्यायाहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। दावा प्रस्तुत कर निवेदन हे कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिकी फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 3796 रकबा 0.1700 हैक्टर राजस्व ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान का वादी एव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 18 के मध्य में वादपत्र में वर्णितानुसार बंटवारे की घोषणा कर वादी को उसके बंटवारे की खसरा नम्बर 3790 मे दक्षिण दिशा में रोड से सटाकर 0.2566 एयर भूमि का वादी से अलग से बंटवारा कर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसमें दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया जाकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर नक्शा ट्रैस मे तरमीम किया जावे तथा वादी की भूमियों से रहन हटाया जावे तथा शेष भूमियों को प्रतिवादीगण के हक हिस्से एवं अधिकार की भूमिया घोषित फरमायी जाकर वादी का नाम उनकी भूमियों से हजफ फरमाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वे उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3796 रकबा 0.1700 हैक्टर राजस्व ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे वादी के हक हिस्से में आयी हुयी भूमि के वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करें ना ही दीगर से करावें। समस्त प्रतिवादीगण रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई, बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या [illegible] पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। वकील वादी ने बाद में [illegible] निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। जिसमें वकील वादी ने बहस में प्रारंभिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नकल नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 3796 खाता संख्या 144 रकबा 0.1700 हैक्टर कुल किता 1 रकबा कुल रकबा 0.1700 हैक्टर राजस्व ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसकी 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम व खसरा नम्बर 3790 खाता संख्या– 143 रकबा 0.6000 हैक्टर राजस्व ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे अवस्थित है, जिसकी 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम से अंकित होना वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से स्पष्ट होता है। दो पृथक–पृथक खातों क्रमशः 143 (खसरा नम्बर 3790) व 144 (खसरा नम्बर 3796) प्रत्येक में पृथक–पृथक 1/3–1/3 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम है लेकिन वादी बंटवारे में दोनो खातो के दोनो खसरान मे बन रहे अपने कुल हिस्से 0.2566 हैक्टर को केवल एक ही खाते नम्बर 143 (खसरा नम्बर 3790) में से सडक के सहारे–सहारे मांग की गई है। जिस बाबत खातेदारान मे बाहमी बंटवारा होना दावे में अंकित किया गया है। कानून प्रत्येक खाते में दर्ज वादी के हक हिस्से अनुसार अपने हिस्से का बंटवारा प्रत्येक खाते अनुसार करवाने का अधिकार वादी को है। लेकिन यहां वादी दो पृथक–पृथक खातो (143 व 144) की अपने हिस्से की कुल भूमि को एक ही खाते (143) में से लेना चाहता है जिस बाबत बाहमी बंटवारा होना वादी ने अपने दावे मे अंकित किया है इस प्रकार वादी खाता संख्या 143 (खसरा नम्बर 3790) में से अपने हिस्से की भूमि से अधिक भूमि चाहता जो (अधिक्य भूमि) वर्तमान में अन्य प्रतिवादी खातेदारान (प्रतिवादीगण)के हिस्से मे दर्ज है जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन इस बाबत अन्य खातेदार के साथ हुए किसी लिखित/मौखिक बाहमी बंटवारे के कोई साक्ष्य वाद में पेश नही किये गये है और ना ही कोई अन्य साक्ष्य आदि वाद के समर्थन में पेश किये है। जिससे कि वादी का वाद प्रमाणित हो। ऐसी स्थिति में वादी का वाद प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रमाणित नहीं होने से न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर वादपत्र को स्वीकार नहीं किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested